न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
270/2021	31-08-2021	01/07/22

उनवान

01. शास्त्री पुत्र सरदारा जाति अहीर निवासी ग्राम बिरामपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

——:: वादी

बनाम

01. दिलबहादुर पुत्र सरदारा जाति अहीर निवासी ग्राम बिरामपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
02. श्रीमान् रजिस्ट्रार महोदय, उपपंजीयक कार्यालय तिजारा जिला अलवर (राज0)
03. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी पैरोकार तहसीलदार तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

——:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—:: निर्णय ::—

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने यह दावा तकासमा मय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व दावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 164 रकबा 0.08 है0, 476/157 रकबा 0.80 है0, 478/163 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम मिलकपुरी तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है।

विवादित मिन वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। उक्त विवादित आराजी में मिन वादी का 1/2 भाग व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 भाग मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा निहित है। राजस्व रिकार्ड में शामलात का अंकन दर्ज है। मिन वादी व प्रतिवादी संख्या 1 जो कि आपस में सगे भाई है। मिन वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य आपसी सहमति से मौखिक तौर पर आराजी का बंटवारा हो चुका है। जिस अनुसार विवादित आराजी में मिन वादी का 1/2 भाग पेशकर्दा नक्शा में बरग हरे रंग से दर्शित जायदाद मिन वादी की व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 भाग पेशकर्दा नक्शा बरंग लाल से दर्शित जायदाद है। जिस पक्षकारान काबिज व दाखिल है। मिन वादी का अपने भाग की भूमि पर वास्तविक कब्जा है। केवल मात्र रिकार्ड में शामलात का अंकन दर्ज रिकार्ड है। मिन वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य कोई लिखित तकासमा नहीं हुआ है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 मुताबिक जमाबन्दी अपने अपने भाग की भूमि पर काबिज व दाखिल है। हर सहखातेदारान का संयुक्त खातेदारी की उक्त विवादित आराजी के हर इंच पर हिस्सा व अधिकार निहित है। अब प्रतिवादी संख्या 1 के मन में बेईमानी आ गई है और प्रतिवादी संख्या 1 पूर्व आपसी बंटवारा को मानने से इंकार कर मिन वादी के हिस्से की भूमि में जबरन घुसकर मजाहमत व मदाखलत उत्पन्न कर, जबरन निर्माण कर, विवादित आराजी को किसी दीगर जगह बेचान करने पर आमादा है। मिन वादी के मौलिक व कानूनी व काश्तकारी अधिकारो को जबरन कुचलने के प्रयास में है तथा मिन वादी के हिस्से की आराजी को खुर्द बुर्द व नष्ट करने पर उतारू है। जिसका कि प्रतिवादी को

कानूनन कोई हक व अधिकार निहित नहीं है। ऐसी सूरत में मिन वादी का संयुक्त रिकार्ड में काश्त करना दुभर हो गया है। उक्त विवादित आराजी में मिन वादी का 1/2 भाग जो पूर्व मौखिक बंटवारे में हरे रंग से दर्शित जायदाद है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 भाग जो पूर्व मौखिक बंटवारे में लाल रंग से दर्शित जायदाद है। मिन वादी अपनी जायदाद पर काबिज व दाखिल है तथा मौके पर मिन वादी का वास्तविक कब्जा है, का तकासमा बाई मीटस एण्ड बाउण्डस कराकर अलग से कुर्रेजात कायम करने व अलग से लगान खाता कायम किया जाकर अलग से कुर्रेजात कायम कर तकासमा की डिकी पारित की जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी नम्बर 1 उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 3 फौरमल पक्षकार है कोई राजहित प्रभावित नहीं होने से जबाब बंद किया गया। वाद का प्रारंभिक डिकि किये जाने के आदेशिका लिखा गई थी। परन्तु पक्षकारान के एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया ।

पक्षकारान ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि पक्षकारान द्वारा पूर्व में ही पटवारी हल्का तहसील हस्ताक्षर शुद्वा तरमीम शुद्वा नक्शा ट्रेस जो पत्रावली में पूर्व पत्रावली में संलग्न है के आधार पर दावा फाईनल डिकि किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत दस्तावेज व राजीनामें पर गौर किया गया। अब चुंकि पत्रावली में कुर्रे रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं समझते है अत वाद वादी प्रस्तुत तरमीम शुद्वा नक्शा ट्रेस के आधार पर फाईनल डिकि किया जाना न्यायोचित है। प्रस्तुत राजीनामा व नक्शा ट्रेस के आराजी खसरा नम्बर 164 रकबा 0.08 है0, 476/157 रकबा 0.80 है0, 478/163 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम तिलकपुरी तहसील तिजारा जिला अलवर के कुल 1.20 है0 रकबे में से 1/2 भाग यानि 0.60 है0 भूमि वादी की व 1/2 भाग यानि 0.60 है0 भाग प्रतिवादी की रहेगी। वादी शास्त्री के हिस्से में खसरा नम्बर 164 का सम्पूर्ण हिस्सा यानि 0.08 है0 भूमि व खसरा नम्बर 476/157 रकबा 0.80 है0, 478/163 रकबा 0.32 है0 कुल 1.12 है0 में से 0.52 है0 भूमि रहेगी तथा प्रतिवादी दिलबहादुर के हिस्से में आराजी खसरा नम्बर 476/157 रकबा 0.80 है0, 478/163 रकबा 0.32 है0 कुल 1.12 है0 में से 0.60 है0 भूमि रहेगी। आराजी खसरा नम्बर 476/157 व 478/163 में जो हिस्सा है वह तरफ उत्तर में वादी शास्त्री का हिस्सा रहेगा तथा तरफ दक्षिण में प्रतिवादी दिलबहादुर का हिस्सा रहेगा। तद्नानुसार पृथक से पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय खुल न्यायालय सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)